न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 82/20–21

(छोटानागपुर काष्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मसीह प्रकाष आईन्द – विक्रेता

जसमनी आईन्द – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
10.10.20	**आदेश** आवेदक मसीह प्रकाष आईन्द पिता स्व0 दयाल आईन्द ग्राम–बिचना, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी ने जसमनी आईन्द पिता श्री मसीह प्रकाष आईन्द ग्राम–बिचना, पो0–बिचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	25	892	0.45

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र /खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0687271982 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 618 दिनांक 26.09.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दयाल मुण्डा वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार दयाल मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकबा 9.30 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 4.65 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 7482.00(सात हजार चार सौ बिरासी) रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.20 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मसीह प्रकाष आईन्द पिता स्व0 दयाल आईन्द को जसमनी आईन्द पिता श्री मसीह प्रकाष आईन्द के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 25 खेसरा संख्या 892 कुल रकबा 0.45 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7482.00(सात हजार चार सौ बिरासी)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेष से अन्य अंषदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

10/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

10/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।